A052-20222023-001-1491086

संख्या- 98/2022/ 1092 /52-1-2022-04(एम.एस.डी.पी.)/19

**प्रेषक,**

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2022**

विषय -अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 10वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.12.2018 द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर के वि0ख0-जानसठ में स्वीकृत राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के सापेक्ष राज्यांश की 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3478/अ0स0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/जन पत्रा0/(155-प्रथम) दिनांक 15-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम.एस.डी.पी.-13/141/2018-एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए., दिनांक 31.03.2021 द्वारा उक्त आई0टी0आई0 भवन के निर्माण के लिए **द्वितीय किश्त** के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 356.01 लाख के सापेक्ष बनने वाले राज्यांश **रू0 237.345 लाख** में से 25 प्रतिशत **राज्यांश रू0 59.34 लाख (उनसठ लाख चौतीस हजार मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के संगत लेखा शीर्षक से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

( केन्द्रांश 60, राज्यांश 40 ) ( रू0 लाख में )

| क्र0 | जनपद | योजना | इकाई | इकाई लागत | कुल अनुमोदित केन्द्रांश | कुल राज्यांश | पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के +रा0) | भा0स0 द्वारा अवमुक्त द्वितीय किश्त (एस0एन0ए0 में जमा) केन्द्रांश | द्वितीय किश्त के रूप में बनने वाला राज्यांश | अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त 25 प्रतिशत राज्यांश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | मुज | वि0ख0 | 01 | 1186.7 | 712.03 | 474.69 | 593.37 | 356.01 | 237.345 | 59.34 |

UniCode Gov. Inter College. G.O1

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **फ्फर नगर** | जानसठ में रा0 आई0टी 0 आई0 का निर्माण। | | 2 | | | | | | |
| | | **योग** | 01 | | 712.03 | 474.69 | 593.37 | 356.01 | 237.345 | **59.34** |

**3-** अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रश्नगत राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्दांश अवमुक्त है।

(3)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है।

(4)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोंदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि प्राप्त नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल है। प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति नही हो रही है।

(9)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं

http://shasanadesh.up.gov.in

के निर्माण की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है ।

(11)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो । अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)- उल्लिखित परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(13)- प्रश्नगत परियोजना की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-05/2019/342/बावन-1-2019-4(पी0एम0जे0वी0के0)/19 दिनांक 07.03.2019 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जायेगा।

(14)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(15)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(16)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(17)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(18)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(19)- अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(20)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21)- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

(22)- प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(23)- योजनान्र्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(24)- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**4-** उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाए, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8905-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्टिक्ट प्लान के अंतर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण 24- बृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ. संख्या-**E-4-275-X-2022-23** दिनांक: **03-12-2022** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या- 1092 (1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उक्त आई0टी0आई0 भवनों के निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- निदेशक, उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवन का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **मुजफ्फरनगर** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आई0टी0आई0 के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in